RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-10
October-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i10.016

राजस्थान के ग्रामीण विकास में मनरेगा का समावेशी योगदान

राकेश कुमार सामोता

शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बूंदी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 October 2020

Keywords
मस्टररोल, जॉबकार्ड, सार्वजनिक परिसम्पत्तियाँ, विकेन्द्रीकरण, सामाजिक सुरक्षा, यू–विदआऊट क्यू, सामाजिक अंकेक्षण, बेरोजगारी भत्ता, पारदर्शिता

ABSTRACT

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर सृजित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार देना है। यह कार्यक्रम यू–विदआउट क्यू तर्ज पर आधारित है। मनरेगा के द्वारा ग्रामीण भारत का आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन करके गांवों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना है।

प्रस्तावना

राजस्थान के समावेशी विकास में मनरेगा की भूमिका महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसे गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को भारतीय गणराज्य की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियिम के रूप में अधिनियमित किया है। इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी, 2006 को देश में 200 जिलो में लागू की गई है। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया गया है। देश में इसका शुभारंभ आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत में किया गया। सन् 2007–08 में इसे देश के 130 जिलों में और लागू किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को इसे सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2009–10 में 2 अक्टूबर, 2009 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया है। भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह पहला अवसर है जब ग्रामीण श्रमिको के लिए रोजगार के अधिकार को एक अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

राजस्थान में इस योजना की शुरूआत 2 फरवरी, 2006 को माकड़ादेव ग्राम पंचायत (झाड़ोल, उदयपुर) में की गई। प्रथम चरण में यह राज्य के 6 जिलों– बॉसवाड़ा, डूँगरपुर, झालावाड, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में लागू की गई। द्वितीय चरण में 6 अन्य जिलों बाडमेर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर एव टोंक में 2 मई, 2007 से लागू की गई। दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना राज्य के समस्त जिलों सहित सम्पूर्ण देश में लागू हो गई है।

राजस्थान में यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006 के नाम से लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में यह देश की पहली योजना हैं जिसमें काम के अधिकार को कानूनी बाध्यता का रूप दिया गया है। यह योजना आपूर्ति आधारित न होकर एक माँग आधारित योजना है। इस योजनान्तर्गत ग्रामवासी स्वयं वार्ड सभा/ग्राम सभा के माध्यम से योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में से अपने गाँव के विकास के लिए कार्यो की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर कार्य कराने की अभिशंसा कर सकते है। इस प्रकार यह विश्व की सबसे बडी रोजगार गारंटी योजना है जिससे तकरीबन 5 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है। वहीं भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कमी 2005–2006 से 2015–16 के बीच 27.1 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त एवं गरीबी दर 55.1 प्रतिशत से घटकर आधी 27.9 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार इस योजना के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, ग्रामीण आजीविका का विकास, ग्रामीण पर्यावरण में सुधार, वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम, इत्यादि विकास कार्यक्रमो के कारण इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्र मे क्रांतिकारी एवं रचनात्मक परिर्वतन लाने में अहम भूमिका निभाई है।"

मनरेगा में बडे पैमाने पर ग्रामीण बेरोजगारी के संकट को दूर करने का प्रयास किया और लोगों को आजीविका की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की तभी विश्व बैंक ने दुनिया का

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सबसे बडा सार्वजनिक कार्यक्रम बताया था, जिसका उद्देश्य हाशिए पर खडे उस आदमी के जीवन की न्यूनतम रोजगार सुरक्षा करना था ताकि वह भी सम्मान के साथ जीवनयापन कर सके। मनरेगा से 4.50 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। रोजगार मिलने से उनका आत्मबल एवं स्वावलंबन बढा है।

इस प्रकार की दूरदर्शी सोच और मानवता के कल्याण का उद्देश्य जिसका स्वप्न महात्मागाँधी ने देखा था उनका मानना था कि जब तक ग्रामीण भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और सवावलंबन नहीं बनाएगे तब तक सच्चे भारत का निर्माण अधुरा है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा व बाजारवादी अर्थव्यवस्था में गाँधीजी के विचारो और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के कल्याण के लिए यू.पी.ए. सरकार अपनी कार्यनीति में मनरेगा जैसी सामाजिक उत्थान की योजना को शामिल कर गाँधीजी के सपने को साकारित करने का प्रयास किया है। विगत 15 वर्षों से केन्द्र में मौजूदा सरकार द्वारा खासकर ग्रामीण विकास संबंधी सामाजिक क्षेत्र पर निरंतर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ "समावेशी आर्थिक विकास" के सिद्धान्त को बढावा देने वाले निरंतर अति सक्रिय और अनुकूल नीतिगत निर्णय लिए जाने की वजह से हमारी विशाल ग्रामीण आबादी न केवल वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से अछूती रही है, बल्कि वास्तव में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के पथ पर भी अग्रसर है।

वर्ष 2011–12 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं कलयाणकारी क्रियाकलापों को अत्यंत उत्साह और जोश के साथ जारी रखा गया था महात्मा गाँधी नरेगा जैसे गारंटीयुक्त लोक निर्माण कार्यक्रमों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसरों में वृद्धि, वाटरशेड विकास, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सुदृढ़ सामाजिक– सुरक्षा नेटवर्क, के साथ–साथ संवर्द्धित ग्रामीण संपर्कता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत बेहत्तर मूलभूत सुविधा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीनों को मकान एवं वासभूमि क्षेत्र मुहैया कराने जैसे कल्याणकारी उपायों जैसे कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया गया। जहाँ हमारी 1.2 अरब से अधिक जनसंख्या की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों मे रहती है, विकास एवं कल्याण के अधिकांश क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के सम्पूर्ण विकास की इस कार्यनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है। मंत्रालय का विजन और मिशन, जैसा की रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (आर.एफ.डी.) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, आजीविका अवसरों को बढाते हुए गरीबी उन्मूलन के लिए बहुसूत्री कार्यनीति के जरिए ग्रामीण भारत का स्थायी एवं समावेशी विकास करना, विकास संबंधी असंतुलन को दूर करने तथा समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों तक पहुंचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पर्याप्त तरजीह देने के लिए ग्रामीण भारत में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयोजनार्थ सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध करना और आधारभूत सुविधाए विकसित करना है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव पर विशेष बल दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रो में न्यूनतम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना उत्तरवर्ती सरकारों के लिए चुनौतिपूर्ण कार्य रहा है। गरीबी का कारगर ढंग से सामना करने के लिए मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 दिनांक 2 फरवरी, 2006 से लागू किया गया और 1 अप्रैल, 2008 को इसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कानून है जो अप्रत्याशित स्तर पर अकुशल काम के लिए इच्छुक ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन तक का, माँग आधारित काम आवंटित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि जॉब कार्ड बनने के बाद काम मांगना श्रमिक का कानूनी अधिकार है। कानून के उपरोक्त महत्वपूर्ण पक्षों को वास्तविक रूप देने के लिए पंचायतों को प्रमुख भूमिका निभानी है और तृणमूल पर ही स्वंय के लिए उपयुक्त ऐसे कार्यों का, जो स्थायित्वपूर्ण विकास में सहायक हो, ग्राम सभा में जन सहभागिता द्वारा चयन करना, पंचायतों का दायित्व है। अतः पंचायतों के सभी प्रतिनिधियों को कानून के सफल और श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध होना आवश्यक है। इन सभी प्रतिनिधियों में भी सर्वाधिक जिम्मेदारी सरपंच की है, इसलिए उन्हे इस कानून के सभी पक्षों की जानकारी होना अति आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन एक ऐसी सतत् प्रक्रिया जिसमें कानून के दायरे में रहते हुए भी नई कार्यपद्धतियाँ सीखने और नवीन विचारों का लागू करने की क्षमता है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं की मुख्य भूमिका है, लेकिन उनमें भी ग्राम पंचायत की ही सर्वाधिक जिम्मेदारी है। जब तक ग्राम पंचायत सजग और सुदृढ़ नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य ठीक–ठीक संपादित नहीं किया जा सकेगा। अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के परिवारों के गरीबी उन्मूलन, पलायन पर रोक और सम्मानजनक जीवनयापन के लिए सरपंच तब ही सक्षम हो सकते है जब वे कानून की सभी प्रक्रियाओं को ठीक–ठीक समझे। उनके लिए यह समझना भी आवश्यक है कि ये सभी प्रक्रिया चरणबद्ध और समय पर निर्धारित होती है। इस प्रकार एक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि वह विकास की रणनीति की योजन को किसी रूप में साकारित करें। मनरेगा में ग्राम–सभा ओर वार्ड सभा द्वारा कार्य योजना को तैयार किया जाता है और यह पंचायत की मिम्मेदारी होती है कि वह इन सभाओं को आयोजित करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन संस्था है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सम्पूर्ण भारत के साथ राजस्थान में भी मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से सम्पूर्ण राज्य में लागू हो गया। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायित्व की उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन व माँग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येंक गृहस्थी के लिए वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए कम से कम सौ दिन प्रदान करना जिससे निर्धन परिवारों को जीविका के संसाधन आधार को सुदृढ़ करना, सामाजिक अंतर्वेशन को अतिसक्रिय रूप से सुनिश्चित करना और अंत में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना। इस लक्ष्य को लेकर कि ग्रामीण भारत में गरीबी व बेरोजगारी को कम किया जाए व खाली समय में ग्राम स्तर पर सार्वजनिक परिसम्पतियों का सृजन किया जाए। रोजगार के अवसर उपलबध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलबध करना। टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों के निर्माण, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्चभूमि उत्पादकता के जरियें निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा करना, ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था करना, अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिये सामाजिक रूप से लाभवंचित, विशेषकर महिलाओं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना है। इससे पहले भी ग्रामीण भारत में विभिन्न गरीबी उपशमन और आजीविका संबंधी पहलों में तालमेल के जरिये विकेन्द्रीकरण, भागीदारी–पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ करना व पंचायती राज संस्थाओं की सुदृढ करके जमीनी स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करना और साथ ही स्थानीय स्तर पर भी शासन में बेहतर पारदर्शिता ओर जवाबदेही लाना। इस प्रकार महात्मा गॉधी नरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतान्त्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सूनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

मनरेगा के तहत वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में राज्य की प्रगति निम्नानुसार तालिका के माध्यम से देख सकते हैः–

क्र.सं.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
1	कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या (लाखों में)	46.35	45.14	51.65
2	कुल सृजित मानव दिवस (लाखों में)	2596.75	2397.74	2942.36
	1. अनुसूचित जाति द्वारा सृजित मानव दिवस (लाखों में)	537.56	505.49	611.39
	2. अनुसूचित जनजाति द्वारा सृजित मानव दिवस (लाखों में)	579.36	515.26	653.02
	3. महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस (लाखों में)	1740.61	1556.59	1944.06
3	औसत रोजगार दिवस (प्रति परिवार)	56	53	57
4	व्यय राशि (रूपए करोड़ो में)	5155.23	5137.80	5681.62

स्रोतः महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट्स

उपरोक्त तथ्यों के आधार से पता चलता है कि राजस्थान के समावेशी विकास में मनरेगा के परिणामस्वरूप व्यापक बदलाव हुआ है, वो चाहे ग्रामीण जीवन स्तर में बदलाव हो या श्रमिकों की दशा में परिर्वतन हो या फिर गांवों के आर्थिक समावेशन में बदलाव हो हर बदलाव का कारण मनरेगा के परिणामस्वरूप लोगो को स्थानीय स्तर पर मिलने वाला काम है। जिसमें सबसे अधिक भागीदारी महिला श्रमिको की है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की है। मनरेगा के कारण क्षेत्रों में दुर्बल और हाशिये पर चले गये समाज के लोग वापिस मुख्यधारा में लौटे हैं उन्हे आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा है उन्हें अपने श्रम का पारिश्रम प्रत्यक्ष मिलने लगा जिसका उपयोग वे अपने जीवन स्तर को सुधारने में करने लगे। मनरेगा के परिणामस्वरूप हम राजस्थान के विभिन्न जिलों खासकर दक्षिणी राजस्थान के जिलों में आये व्यापक बदलाव को देख सकते है। वहाँ मनरेगा के परिणमस्वरूप सम्पदाओं का निर्माण, वर्षा जल के संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण, गांवों से शहरों की और पलायन का कम होना, स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधनों की प्राप्ति, आदिवासी क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढना जिससें लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई इत्यादि परिर्वतन देखे जा सकते है। वैसे मनरेगा के परिणास्वरूप ग्रामीण राजस्थान में चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो समृद्ध हो या फिर अल्पविकसित या आदिवासी इस योजनान्तर्गत सभी लोगों को समावेशी लाभ मिला है। मनरेगा में कार्यों की प्राथमिकता में महिलाओं को अधिक प्राथमिकता देना उसमें भी दुर्बल वर्गों एस.सी., एस.टी. समुदायों की महिलाओं की अधिक भागीदारी देकर इन वर्गो की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना और समाज की मुख्यधारा में लाना प्रमुख उद्देश्य रहा है और इस उद्देश्य में मनरेगा योजना अधिकांशतः सफल भी रही है। कार्यभागीदारी दर की बात करे तो राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष दस राज्यों में महिलाओं को जॉबकार्ड देने में सबसे ऊपर रहा है। दुर्बल वर्गों और एस.सी., एस.टी., आदिवासी समुदाय के मामले में भी यह छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। मनरेगा योजनान्तर्गत रोजगार आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है कम–से–कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस लक्ष्य में राजस्थान भारत में शीर्ष के पाँच राज्यों में शामिल है। यहाँ

RRIJM 2015, All Rights Reserved

कार्य सहभागिता दर में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। इस प्रकार राजस्थान में मनरेगा के परिणामस्वरूप ग्रामीण जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आया है। **यू–विदआऊट क्यू** के तर्ज पर शुरू किया गया यह कार्यक्रम हर हाथ को काम और काम के अनुसार वेतन देने की योजना थी। यह सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसकी बदौलत ग्रामीण भारत की कायापलट करना चाहती थी लेकिन इस परियोजना के शुरू होने के 13 साल बाद भी इसमें अनेक खामियाँ समय के साथ निकलकर आयी है जिससे यह परियोजना कई हदों पर जाकर दम तोड़ती हुई नजर आती है। कार्यक्रम की कल्पना यह है कि ग्रामीण आजीविका का विकास, ग्रामीण पर्यावरण में सुधार, जल सुरक्षा, स्वच्छता, आधारभूत संरचना के कार्य, महिलाओं में आत्मनिर्भता बढे व उनका सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की और अधिक कार्यों में भूमिका बढे, गाँव के विकास में सभी समुदायों की भागीदारी, गाँव की विकास परियोजनाए गांव के लोगो द्वारा बनायी जाए और उन्ही के द्वारा पूर्ण की जाए और उसे आधार पर ही लोगो को काम मिले और जहाँ–जहाँ इस कार्यक्रम के तहत अच्छा काम हुआ है वहाँ यही देखने को मिला है जिसके परिणाम सबसे सामने है इसके कई कारण है जिसे प्रशासनिक अधिकारियों की अतिसक्रियता और ग्राम पंचायत की जागरूकता और लोगो की कार्य सहभागिता आदि तत्वों का सम्मिलित योगदान होने के कारण मनरेगा के परिणाम सबसे अधिक बेहतर आये है ओर इसके तहत होने वाले कार्यों की गुणवत्ता भी अधिक बेहतर है जैसे वर्षाजल संरक्षण के लिए जोहड़ का निर्माण, चैकडैम, एनिकट, वृक्षारोपण, कच्ची सड़कों का निर्माण स्कूल के चारदीवारी का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, शौचालय का निर्माण इत्यादि महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए लेकिन इसका दूसरा स्थाई पक्ष भी जहाँ प्रशासनिक उदासीनता ग्राम पंचायत में जागरूकता का अभाव, भ्रष्टाचार और बिना वजह कार्यों में देरी इत्यादि कारणों से इसके परिणाम आशाजनक नहीं आ पाये इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी तो दोषी है ही साथ ही साथ ग्राम पंचायत भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अजागरूक या उदासीनता के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए मनरेगा के कारण ऐसे क्षेत्रों में या तो कम काम हुआ है या जिस स्तर पर होना चाहिए नहीं हो पाया जिसका परिणाम ग्राम पंचायत का विकास कार्यों में पिछड जाना है। अतः इसके लिए ग्राम पंचायत का मुखिया की अहम भूमिका होती है कि वह अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए अति सक्रिय होकर विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण कराने की कोशिश करे।

मनरेगा में पिछले 15 वर्षों में राज्य के मजदूरो के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढोत्तरी करना, कार्य में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, एस.सी., एस.टी. समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने जैसे प्रमुख कार्यो पर बल रहा हैं। समय–समय पर राजस्थान सरकार मनरेगा की समीक्षा करती है और समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है मनरेगा को अधिक सशक्त तरीके से क्रियान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा की मींटिग में इस कानून के तहत होने वाले कार्यों का चयन, श्रमिकों का चयन और ऐसे क्षेत्रों की अधिक प्राथमिकता के साथ रखना जिसकी आवश्यकता ग्राम पंचायत को है जैसे आधारभूत संरचना के लिए ग्रामपंचायत में सड़कों का विकास, पेयजल की सुरक्षा के लिए वर्षा जल का संरक्षण, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अभियान, शिक्षा के लिए आदर्श स्कूलो का निर्माण इत्यादि कार्य ग्राम सभा की होने वाली मींटिग में तय किये जाते है इन प्राथमिकता आधारित कार्यो के आधार पर ही ग्राम पंचायत में विकास कार्यो को असली जामा पहनाया जाता है। इसके लिए ग्राम सभा की नियमित बैठकें होना अतिआवश्यक है। ग्राम सभा बैठक में नए कार्यो की माँग, चालू कार्यो की निगरानी व कार्य पूर्ण हो चुके है उनकी समीक्षा करना है। ग्राम पंचायत ग्रामीण आजीविका के कार्यो का सृजन करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। राजस्थान में 2009–10 में मनरेगा में मांग बढी जिसका कारण 2009–10 में पड़ा अकाल–सूखा के कारण अब तक के 15 वर्षो में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों का सजृन मनरेगा में किया गया है जिसके कारण लोगो को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिली और एक प्राकृतिक आपदा से निकलने के लिए मनरेगा ने लोगो को एक अवसर प्रदान किया। इसके बाबजूद भी मनरेगा में समय के साथ अनके कमियाँ उभरकर सामने आई जैसे–

- मनरेगा कार्मिकों को भुगतान में विलंब
- पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का अभाव
- कार्य भागीदारी में महिलाओं की संख्या का घटना
- न्यूनतम मजदूरी को नहीं बढ़ाना (केन्द्र नहीं बढ़ाना चाहता जबकि राज्य बार–बार न्यूनतम मजदूरी की मांग करते है।)
- परिवारों का पंजीकरण में गिरावट
- जॉबकार्ड में एवं मस्टरोल में गड़बड़ियाँ
- Social Audit में सहयोग नहीं करना
- निर्माण–कार्यो की गुणवता खराब होना
- विकास योजना व नीतियो में ग्राम सभा की राय नही लेना।
- जॉबकार्ड ज्यादा हैं उनके अनुपात में कार्य कम है।
- कृषि सीजन में मजदूरों की कमी।
- घटिया और कमजोर परिसंपत्तियों का निर्माण
- बेरोजगारी भत्ते का भुगतान समय पर नहीं

इन सब कमियों के बाबजूद हम यह नहीं कह सकते कि मनरेगा एक असफल योजना है ओर इसमें ग्रासरूट पर लोगो को काम देने व लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई भूमिका नहीं अदा की तो इस योजना के साथ बेमानी होगी। प्रत्येक योजना के दो पहलू होते है। एक समय के साथ आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को चिन्हित कर उन्हे दूर

करना और अधिक समावेशी व लचीली बनाना। दूसरा पहलू है कि इन सब समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे जबकि भारत सरकार इस परियोजना कार्यन्वित और मांनीटरींग कर रही है केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद इस योजना की लगातार मॉनीटर कर रही है और आने वाली कतिपय समस्याओं को ट्रेस कर उन्हे दूर करने का प्रयास कर रही है इसके लिए निगरानी तंत्र को मजबूत कर रही है दुरूपयोग करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। मनरेगा कार्यो को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है जिससे कार्यो में पारदर्शिता आयेगी, डी.बी.टी. के द्वारा भुगतान किया जा रहा हैं फर्जी जॉब कार्डों की मॉनिटरिंग करना, वेतन चोरी को रोकना, कृषि से जोड़ाने की पहल करना, 30 नए कार्यो के जोडने की पहल जिसमें जल प्रबंधन व मछली पालन भी शामिल होगा, मनरेगा से दूसरी हरित क्रान्ति लाने का प्रयास करना, डिमांड दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना, जॉब कार्ड को डी.बी. टी. से जोडना, बिचौलियों को खत्म करना, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना अगले वर्ष की कार्य योजना को सही समय पर प्रस्तुत करना, जिसमें कार्य की योजना रखी जाऐगी और इसमें लोगों को यह बताया जायेगा की क्या–क्या काम मिलेगा अगले वर्ष व कौनसे समय में ग्राम पंचायत में क्या–क्या काम होंगे इन सूचनाओं से अवगत कराने इत्यादि पर बल देना है ग्राम पंचायतों को मनरेगा से Productivity को बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए और तकनीकी का सहारा लेकर पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। स्वयंसेवी समूह को जोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए जिससे उनके कार्यों में अनुभव व लाभ का फायदा मिल सके। सरकार को मंहगाई के हिसाब से वेतन में समय–समय पर बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।

राजस्थान सरकार ने 2018–19 के बजट में महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए रु. 2,084.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 5,681.57 करोड़ व्यय कर 2,942 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन किया गया जिससे 56.97 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिनमें 5.88 लाख परिवारों ने पूर्ण 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किया है।

निष्कर्षः

अतः इस प्रकार दुनिया की सबसे बडी रोजगार गांरटी योजना जिसने देश के करोड़ों गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला इसकी सफलता की कहानियों में से एक है लेकिन इसमें समय के साथ अनेक विसंगतियों ने भी प्रवेश किया जिससे इस योजना को ग्रासरूट तक पहुचने में बाधक के रूप में कार्य किया जैसे भ्रष्टाचार, राज्य सरकारों की उदासीनता ग्राम पंचायतों व विकास योजनाओं में समन्वय का अभाव, वेतन विंसगतियाँ एवं कार्य की गुणवता इत्यादि लेकिन फिर भी इस मनरेगा में व्यापक जनभागीदारी बढ़ती गई और औसतन हर वर्ष पांच करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार का सहारा बनकर उन्हे विषम आर्थिक हालातो से बाहर निकालने का प्रयास किया। सरकार ने भी आपदा प्रभावित व सुखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 200 दिन तक का कार्य श्रमिकों को दिया तभी विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा को क्रांति लाने वाला सूत्रधार कहा। आर्थिक मंदी के समय भी ग्रामीण अर्थव्यस्था को महत्वपूर्ण संबल मिला जिसके पीछे मनरेगा ही था। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नगदी का प्रमुख स्रोत बनकर उभरी है जिससे लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में सुधार हुआ है जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसलिए मनरेगा 21वीं सदी में ग्रामीण भारत के समावेशी विकास के साथ–साथ आर्थिक समावेशी विकास की और आगे बढ रही है। इसमें राजस्थान राज्य अपने प्रयासों के माध्यम से मनरेगा को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक व समावेशी बनाकर इसका लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहा है।

संदर्भ सूची–

[1]. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार वार्षिक रिपोर्ट, 2016–17.
[2]. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी एक्ट, 2006.
[3]. महात्मा गाँधी समीक्षा रिपोर्ट 2017–18, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
[4]. मनरेगा, पंचायती राज एवं जनजातिय विकास, माधव प्रसाद गुप्ता, रावत पब्लिकेशन दिल्ली।
[5]. मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट 2017–18, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार।
[6]. राइट टू वर्क एण्ड रूरल इण्डिया, अशोक के. पंकज, सागा पब्लिशर्स इंडिया, नई दिल्ली 2012.
[7]. आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 2017–18.

RRIJM 2015, All Rights Reserved